

संचिका संख्या-15/औ०-01-21/2025-...../स्वा०, पटना, दिनांक-.....2026

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-10 सम्प्रति सेवानिवृत्त के आवेदन में उल्लेखित अवधि के अनुसार सेवा से बर्खास्तगी की तिथि-26.03.2021 से सेवा में पुनः स्थापन की तिथि 16.08.2022 तक को विभागीय पत्रांक-425(15), दिनांक-27.03.2025 द्वारा अवैतनिक असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया है, जबकि वित्त(वै०दा० नि०को०) विभाग, पटना के पत्रांक-2453(25), दिनांक-24.11.2025 के अनुसार श्री यादव के सेवा से बर्खास्तगी एवं पुनः स्थापन की अवधि दिनांक-26.03.2021 से 17.08.2022 तक है।

2. वर्णित स्थिति में उक्त विभागीय पत्र में अंकित तिथि-16.08.2022 को सशोधित कर 17.08.2022 किया जाता है।

3. अतएव विभागीय पत्रांक-425(15), दिनांक-27.03.2025 में अंकित तिथि-16.08.2022 को 17.08.2022 पढ़ा जाय।

4. विभागीय पत्रांक-425(15), दिनांक-27.03.2025 की शेष शर्तें यथावत रहेंगे।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(हिमांशु शर्मा)

सरकार के विशेष सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -339(15A).....

पटना/दिनांक - 15/04/2026

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अशोक कुमार यादव, सेवानिवृत्त औषधि निरीक्षक, पटना-10, पता- ग्राम/ मोहल्ला- बासूदेव झरी अपार्टमेंट बेदनगर रूकनपुरा फ्लैट न०-204, बेली रोड पटना-14 डाकघर-बी०भी० कॉलेज पटना, थाना- रूपसपुर, जिला- पटना, बिहार- 800014, मो०नं०-8045997658 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/4/26
सरकार के विशेष सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।